

Form-1
(for liner project)

Government of Jharkhand

Office of the District Collectorate SERAIKELA-KHARSAWAN

No.....**455**.....

Dated **09-05-15**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

On the basis of the letter issued by DFO, Seraikela Division, Seraikela vide letter no-171 dated-02-02-15 & In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 20.0746 Acre of forest land proposed to be diverted in favour of **POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED (name of user agency) for Construction of 132 KV Double circuit Ramchandrapur-Jadugora and Construction of 220 KV Double circuit Ramchandrapur-Chaibasa Transmission lines for POWERGRID on behalf of JUSNL (purpose for diversion of forest land) in SERAIKELA-KHARSAWAN district falls within jurisdiction of GAMHARIA village (s) in**

1- 132 KV D/C Ramchandrapur-Jadugora Transmission line -

Sl.No	Name of Mouza	Thana No	Acre
1	Ramchandrapur	452	1.76
2	Shrirampur	48	0.07
3	Shrirampur	48	1.03
4	Shrirampur	48	0.17
5	Dugdha	117	0.88
6	Dugdha	117	0.01
7	Guhanadih	72	0.33
8	Sarupdih	73	0.51
9	Kunchidih	114	1.77
	Total :-		6.53

2- 220 KV D/C Ramchandrapur-Chaibasa Transmission line -

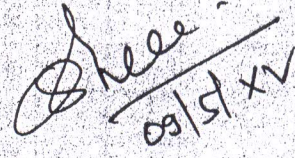
Sl.No	Name of Mouza	Thana No	Acre
1	Ramchandrapur	452	0.62
2	Bara Hariharpur	76	1.45
3	Bara Hariharpur	76	0.06
4	Bara Hariharpur	76	0.54
5	Birajpur	457	2.60
6	Barkatand	74	6.21
7	Pratappur	113	2.06
8	Ramchandrapur	452	0.0046
	Total :-		13.5446

Total 20.0746 Acre in GAMHARIA tehsils.

It is further certified that :

- The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 20.0746 Acre of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed. The report of Circle Officer, Gamharia vide letter no-503 dated-18-04-15 is also enclosed.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl.:As above.


09/5/12
DIPUTY COMMISSIONER
SERAIKELA-KHARSAWAN

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गम्हीला

जेष्ठ,

अंचल अधिकारी
गम्हीला

पत्रांक 1079
दिनांक 19.9.14

लेना में,

आप सहायता

लगायेला- खरताना।

विषय :- वनाधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी
जमीन के नाम से वन भूमि का पट्टा या किसी
जमीन के नाम से प्रस्ताव नहीं देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में बताया है कि निम्नलिखित
जमीन संबंधित राजस्व वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत प्रभारी अंचल
निरीक्षक गम्हीला के माध्यम से प्राप्त जॉन उद्दिष्ट के
आधारे पर राजस्व ग्राम समूहपुर बडा हीहरपुर प्रताप-
पुर एवं स्वरूपडीह के ग्राम प्रधान/वनाधिकारी स्थिति का
अध्यक्ष क्रमशः बिरेन मंडल, राम दास दुइ, द्यासीराजबारी
एवं लाल भोमी से वैधद्वारा राजस्व वर्गीकरण द्वारा वनाधिकारी
के तहत लिखित मांगा गया परन्तु उनलोगों ने कहा कि
उपरोक्त वर्गीकृत जमीनों में कोई पट्टा किम्वद्विर्गत या प्रस्ताव
नहीं भेजा गया है परन्तु लिखित देने से इन्कार किया।

अतः जॉन उद्दिष्ट अग्रतः आवश्यक कार्रवाई हेतु
भेजा जा रहा है।

कृपया जाति स्वीकार की जाय।

अंगुलमरु
दस

विश्वात भाजग

विश्वनाथ

अंचल अधिकारी
गम्हीला।

27th May -

ॐ-ए/ए/अ/इ/उ/ए/

15/3/2016

ਸਿਖਤ:— ਗਾਇਕਾਂ ਅਧੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਭ ਸੁਝਾਅ
ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਭ ਸੁਝਾਅ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ

421214,

उपरोक्त विषय के कारण मैं अत्यंत दुःखी
हूँ। मैंने अपने सभी मित्रों, सहयोगियों, पत्रकारों,
एवं समाजसेवियों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों में
अच्छा प्रभाव बिखेर दिया है, मैंने बहुत सारे लोगों को
एवं उनके परिवारों से मिलने का अवसर दिया है।
मैंने अपने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उपरोक्त
वर्षों में कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं
देखा है जो पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा निम्न

22/4/21

1920/21

16/9/14

22-4-22

~~6/16/14~~

पृष्ठ १

अंगल अलिबारी
गम्हीला ।

$$\begin{array}{r} 974 \\ \hline 4 \overline{) 3896} \\ \underline{3912} \\ 84 \\ \underline{84} \\ 0 \end{array}$$

प्राप्त,

अहमदाबाद

वन अधिकार सुनिश्चि.

मौजा - (१) रामपुर (२) बहादुरपुर (३) बीरामपुर
(४) उतामपुर (५) बड़गाँव (६) श्रीरामपुर दुर्गाह बहादुर

विषय :- वन भूमि पर निर्मित पहा एवं अनुशासन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहा है कि निर्देशानुसार पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित ग्राम से संबंधित वनाधिकार ग्रामि गादि आपसे द्वारा पड़ा है। निर्गत एवं अनुशोका किया गया है। तो इसकी सूचना अयोध्या स्थानी को पत्र प्राप्त है तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें।

निर्धारित दिनों के अन्दर यदि आपके द्वारा कोई
पूरा अधोदस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है
तो यह माना जायेगा कि यह भूमि ग्राम सभा द्वारा
किसी लाभुक को वनाधिकार पहा हेतु अनुशंसित अथवा
अनुमोदित नहीं किया है। अन्यथा जवाबदेही आपकी होगी।

OC 28/8/14

64. अंगल अमिवा
गहनी

① वह सिगरेट का पट्टा फिली को नहीं देता है।

உலக நாள்
1/9/21

- 9234927766

21h-41391

② Rager kruden - 9470990902 (9/4/21)

(9/24/11)

• महम
जिंद पुरान

(3) Saryn Mardi - 7677892233

25/3/20

प्रमाणित किया जाता है की 132 KV D/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 0.89 एकड़ वनभूमि (जंगल सार्वजनिक) जो इस प्रकार है :-

क्र० स०	मौजा का नाम	थाना स०	खतियान स०	प्लॉट स०	किस्म	रकवा (एकड़)	रैयत का नाम	अभ्युक्ति
1	दुधौ	117	1	217	जंगल सार्वजनिक	0.88	वन विभाग बिहार सरकार	
			3	217		0.01		
					कुल	0.89		

उपरोक्त वनभूमि (जंगल सार्वजनिक) में

किसी भी प्रकार का दावा सम्बन्धित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि में कोई दावा सम्बन्धित नहीं है।

[Signature]
 02/08/14
 नाम प्रधान
 नाम सहायक

प्रमाणित किया जाता है की 132 KVD/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 0.51 एकड़ वनभूमि (जंगल) जो इस प्रकार है :-

क्र० स०	मौजा का नाम	थाना स०	खतियान स०	प्लॉट स०	किस्म	रकवा (एकड़)	रयत का नाम	अभ्युक्ति
1	ससमग्रह	73	31	155	जंगल	0.51	वनो विभाग बिहार सरकार	

उपरोक्त वनभूमि (जंगल) में

किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है ।

प्रमाणित किया जाता है की 132 KV D/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकबा 0.33 एकड़ वनभूमि (जंगल) जो इस प्रकार है :-

क्र० स०	मौजा का नाम	थाना स०	खतियान स०	प्लॉट स०	किस्म	रकबा (एकड़)	रैयत का नाम	अभ्युक्ति
1	मुहम्मदपुर	72	08	37	जंगल	0.33	बनौबिगोड़ा बिहार बनरगाह	

उपरोक्त वनभूमि (जंगल) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु देखा गया है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वनभूमि में कोई दावा लम्बित नहीं है।
जीएचएमएल
29/07/11

प्रमाण प्रमाण
जयपुर, राजस्थान

प्रमाणित किया जाता है की 132 KV D/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकवा 1.27 एकड़ वनभूमि (जंगल क्षोडी) जो इस प्रकार है :-

क्र० स०	मौजा का नाम	थाना स०	खतियान स०	प्लॉट स०	किस्म	रकवा (एकड़)	रैयत का नाम	अवधि
1	हरिप्रपुर	48	57	642	जंगल	0.07	वनीविमल विहार समूह	
			56	791	क्षोडी	1.03		
			57	775		0.17		
					कुल	1.27		

उपरोक्त वनभूमि (जंगल क्षोडी) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है।

संलग्नित दिखा जाता है।
उपरोक्त वनभूमि में दावा लम्बित
नही दाव है आवेदन प्राप्त कर
हेतु भेजा गया है।

विशेष नमूना
80/87/88
ग्राम समूह श्रीरामपुर
राज्य सरकार

उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ ।

(कल्याण शाखा)

प्रेषक,

पत्रांक...../क0

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

सरायकेला, दिनांक—.....

विषय:— पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के निमित्त 220 KV D/C रामचन्द्रपुर चाईबासा एवं 132 KV D/C जादुगोड़ा ट्रांसमिशन लाईन जे0एस0ई0पी0 का निर्माण हेतु वनभुमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:— भवदीय पत्रांक-171, दिनांक-02.02.2015 एवं इस कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र सं0 407, दिनांक-28.04.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित इस कार्यालय के पत्रांक 407, दिनांक-28.04.2015 द्वारा पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के निमित्त 220 KV D/C रामचन्द्रपुर चाईबासा एवं 132 KV D/C रामचन्द्रपुर जादुगोड़ा ट्रांसमिशन लाईन जे0एस0ई0पी0 का निर्माण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में 20.0746 एकड़ वनभुमि के स्थान पर 20.07 एकड़ वनभुमि तथा मौजा खूचीडीह का भुमि जो कि 132 KV D/C Ramchandarpur-Jadugora Transmission Line के बदले 220 KV D/C Ramchandarpur-Chaibasa Transmission Line में भुलवंश टकित कर भेज दिया गया था में पुनः सशोधन कर प्रस्तावित रकवा 20.0746 एकड़ वनभुमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ सलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक- यथौक्त।

विश्वास भाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ

ज्ञापांक- 456 / क0, दिनांक- 9/5/15

प्रतिलिपि:— प्रबंधक, पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अपर समाहर्ता, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ

प्रमाणित किया जाता है की 132 KV D/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकबा 1.76 एकड़ वनभूमि (जंगल) जो इस प्रकार है :-

क्र० स०	गौजा का नाम	शान्ता स०	खतियान स०	प्लॉट स०	किस्म	रकबा (एकड़)	रैयत का नाम	अभ्युक्ति
1	रामचन्द्रपुर	452	49	222	Jungle	1.76	वनीविगाज बिहार सरकार	

उपरोक्त वनभूमि (जंगल) में किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है।

प्रमाणित किये जाते हैं की 132 KV D/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में आने वाली रकबा 1.77 एकड़ वनभूमि (जंगल) जो इस प्रकार है :-

क्र० रा०	गाँव का नाम	शाला स०	खतियान स०	प्लॉट स०	किस्म	रकबा (एकड़)	रैयत का नाम	अभ्युक्ति
1	रुंघिड़ी	114	110	78	Jungle	1.77	वनीविमल बिहार सरकार	

उपरोक्त वनभूमि (जंगल) में

किसी भी प्रकार का दावा लम्बित नहीं है न ही उपरोक्त भूमि का दावा हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्ता निर्गत हेतु भेजा गया है ।